न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 52/2024

बउनवान

रामकुंवार आयु 72 वर्ष पुत्र श्री लटूरलाल जाति कीर निवासी रायपुरा तहसील अन्ता जिला बारां राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :— 1. श्री कृष्णकान्त शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निर्णय दिनांक— 28.02.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 24.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रायपुरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.24 है., किस्म—चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए 120 रूपये शास्ति एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी से अपीलांट का कोई सम्बन्ध नहीं है एवं न ही अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा है। हल्का पटवारी द्वारा न तो उक्त भूमि की कभी कोई पैमाइश की है एवं न ही कभी प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल किया गया है तथा ऐसी कोई पैमाइश रिपोर्ट अथवा बेदखलीनामा भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ध्यान न देकर परफोर्मा पर आधारित उक्त निर्णय पारित करने में न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो की अवहेलना की है, इस कारण उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2024 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर संवत् 2079 रबी में भी अतिचार करने पर मिसल नम्बर 46/22 निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। तथा अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 182 रकबा 0.24 है0 किस्म चारागाह ग्राम रायपुरा पर सम्वत् 2079 रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 46/22 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 06/24 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:23 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां